

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

प्रकरण संख्या 111 / 2022

निर्णय दिनांक - 10/5 / 2022

1. शान्तिलाल पिता रामचन्द्र जाति तेली, निवासी रानीखेड़ा
2. सुभाष चन्द्र पिता छगनलाल जाति साहू निवासी निम्बाहेड़ा

..... प्रार्थीगण

/बनाम/

1. किर्ती कुमारी पत्नी विजेश कुमार जाति कुमावत निवासी निम्बाहेड़ा ।
2. रामेश्वर पिता श्रीलाल जी जाति जाट निवासी निम्बाहेड़ा ।
3. उंकारलाल पिता श्रीलाल जाति जाट निवासी निम्बाहेड़ा ।
4. श्रीलाल पिता जोरावरलाल जाति जाट निवासी निम्बाहेड़ा ।
5. जगदीश पिता शंकरलाल जाति राजोरा निवासी निम्बाहेड़ा ।
6. प्रहलाद पिता शंकरलाल राजोरा निवासी निम्बाहेड़ा

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बामनिया पटवार हल्का मण्डला चारण तह निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 69 आ0न0 99 रकबा 1.5300 हे. की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया हैं । विपक्षी प्रार्थी की भूमि पडोसी हैं । प्रार्थी का रिकार्ड मे प्रश्नगत भूमि खातेदार काश्तकार हैं जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त हैं ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति मे, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बामनियां पटवार हल्का मण्डला चारण तह निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 69 आ0न0 99 रकबा 1.5300 हे. की किसी भी पक्ष में कब्जे में दखल दिये वगैर पत्थरगढी करें । पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें आज दिनांक 10.05.2022 को मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

उपखंड अधिकारी निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

